

राजस्व अपील संख्या 07/2021

अनवान

रामलाल बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप वगैरा

दिनांक 27-5-2022

पक्षकारों के अधिवक्ता उपस्थित। वकील अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अपील विद्धो करने का प्रस्तुत कर उसमें उल्लेख किया कि अपीलांटगण ने रेस्पोंड पक्षकार से लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है एवं अपील की विषय वस्तु के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं रहा है। उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं तथा अपील को जरिये विद्धो निस्तारित कराना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांट रामलाल के हस्ताक्षर हैं तथा उसके हस्ताक्षरों की पहचान उनके अधिवक्ता श्री भवानी जयपाल ने की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किये गये।

चूंकि अपीलांट उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है अतः अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता के निवेदन पर इस न्यायालय में विचाराधीन उक्त अपील जरिये विद्धो खारीज की जाती है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लोटाया जाये। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

वति० सम्भागीय न्यायालय  
बोबपुर